हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 21 नवम्बर, 2008

संख्या 113/ह0अ0 6/2003/धा0 60/2008 .–– हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 60 की उप–धारा (3) के साथ पठित उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या वैब 6/ह0अ0 6/2003/धा0 60/2008, दिनांक 13 अक्टूबर, 2008, के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. ये नियम हरियाणा मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2008, कहे जा सकते हैं ।

2. हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 में, नियम 25 में, पैरा (ठ) के बाद, अन्त में निम्नलिखित पैरा जोड़ा जायेगा तथा प्रथम अप्रैल, 2005, से जोड़ा गया समझा जाएगा, अर्थात् :–

"(ड)	भारत में विदेशी राजनयिक मिशनों/ राज दूतावासों तथा वाणिज्य–दूतावासों को बेचे गए माल के आवर्त।	विक्रय बीजक तथा प्ररूप वैट ग–5 में प्रमाण–पत्र ।"।

प्ररुप वैट – ग 5

[देखिए नियम 25 (ड)]

प्रमाण–पत्र

भारत में विदेशी राजनयिक मिशनों/राजदूतवासों तथा वाणिज्य दूतावासों के कार्यालय प्रयोग के लिए माल खरीदने वाले व्यक्ति द्वारा प्रमाण–पत्र

(यथातथ्य प्रति जारी करने वाले कार्यालय/अभिकरण द्वारा रखी जाएगी)

————————————————————————————————————

मै, _____(नाम और पदनाम) _____(कार्यालय का नाम) _____(पता) का प्रधिकृत व्यक्ति प्रमाणित करता हूँ कि मैनें भारत में

विदेशी राजनयिक मिशनों/राजदूतवासों तथा वाणिज्य दूतावासों के उक्त कार्यालय के प्रयोग के लिए मैसर्ज_____पता _____जो करदाता पहचान संख्या (टिन) _____ दिनांक _____ के विक्रय बीजक/परिदान नोट संख्या _____ दिनांक _____ में निर्दिष्ट माल का भारत में विदेशी राजनयिक मिशनों/राजदूतवासों तथा वाणिज्य दूतावासों के उक्त कार्यालय की ओर से क्रय किया है।

स्थान _____ हस्ताक्षर _____

तारीख _____ नाम _____

हैसियत _____

कार्यालय मोहर

रमेन्द्र जाखू,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग ।